Bundelkhand Journal of Academic Research

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के क्षेत्रीय प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन

चंदा देवी[1], डॉ. निर्मला सिंह[2]

1. **शोधार्थिनी (गृह विज्ञान),** ज्वाला देवी विद्या मंदिर पी. जी. कॉलेज कानपुर, उत्तर प्रदेश।
2. **शोध पर्यवेक्षक एवं प्रोफेसर (गृह विज्ञान),** ज्वाला देवी विद्या मंदिर पी. जी. कॉलेज कानपुर, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** patelchanda19@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21623812

सारांश

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) ने ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बडे बदलाव का सूचक है, लेकिन गैस सिलिंडरों की निरंतरता और लागत से जुड़ी समस्याओं को दूर करने हेतु निरंतर प्रयासों और लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता है ताकि यह वास्तव में लाभार्थियों के लिए एक स्थायी समाधान बन सके। देश में 10.33 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा की पहुँच बढ़ी है। योजना ने महिलाओं को पारंपरिक ईंधन जलाने के धुएँ से मुक्ति दिलाई है, जिससे उनका बचा समय अन्य कार्यों में प्रयुक्त हो रहा हैं, और वे सामाजिक–आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। स्वच्छ ईंधन के उपयोग से श्वसन संबंधी बीमारियों और बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य खतरों में कमी आई है। वर्ष 2024–25 में पीएमयूवाई परिवारों की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि देखी गई है, जो योजना के सफल क्रियान्वयन को दर्शाता है। प्रस्तुत शोध पत्र में योजना के क्षेत्रीय प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन का औचित्य बताता है कि यह योजना ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त बनाती है, स्वास्थ्य में सुधार करती है, पर्यावरण की रक्षा करती है और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करके गरीबी कम करती है; इसके क्षेत्रवार अध्ययन से योजना के प्रभाव, जमीनी स्तर की चुनौतियों और निरंतर उपयोग सुनिश्चित करने के तरीकों को तुलनात्मक रूप से समझा जा सकता है, जो महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है।

आलेख सूचना			
	प्राप्त: 14 जनवरी, 2026	**स्वीकृत:** 17 फरवरी, 2026	**प्रकाशित:** 31 मार्च, 2026
	सारणी: 02	**चित्र एवं ग्राफ:** 03	**स्रोत एवं संदर्भ:** 27
	मुख्य शब्द: पीएमयूवाई, एलपीजी गैस, पीएमयूवाई 2.0, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सुधार।		

1. परिचय एवं पृष्ठभूमिः पितृसत्तात्मक समाज वाले ग्रामीण भारत में महिलाएं प्रायः पारंपरिक घरेलू ईंधन के साथ खाना पकाने सहित अधिकांश घरेलू कामों के लिए जिम्मेदार होती हैं। इससे पारंपरिक ईंधन से घर की हवा प्रदूषित होती है। यह जोखिम विभिन्न स्वास्थ्य जोखिमों और ऊर्जा स्रोतों तक पहुँचने में कठिनाइयों को जन्म देता है। गरीब ग्रामीण परिवारों में घर के अंदर का वायु प्रदूषण समय से पहले मौत का एक प्रमुख कारण है। इस समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार ने एलपीजी को बढ़ावा देने और दूरदराज के क्षेत्रों में वितरक स्थापित करने के लिए 16 अक्टूबर 2009 को आरजीजीएलवी (राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना) शुरू की थी और इसी वर्ष सरकार ने एक सीएसआर फंड कार्यक्रम शुरू किया जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हालाँकि, राजीव गांधी ग्राम एलपीजी वितरक योजना योजना को 2015 में बंद कर दिया गया था। इनके तहत उज्ज्वला योजना से पहले 2009 से 2016 तक 1.62 मिलियन घरों में एलपीजी की आपूर्ति की गई थी। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सीएसआर फंड के माध्यम से ईंधन खरीद के लिए सब्सिडी दी जाती थी, जो 31 मार्च 2016 को समाप्त हो गई। प्रधान मंत्री उज्ज्वला (पीएमयूवाई) कार्यक्रम 1 मई 2016 को भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों को रोकना था। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन महिलाओं को लक्षित करता है जो घरेलू ईंधन के प्रदूषण से ग्रस्त हैं और जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने जैसे कठिन काम करती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये ज़िम्मेदारियाँ पारंपरिक रूप से महिलाओं को क्यों दी गई हैं और क्या उज्ज्वला कार्यक्रम

ने अंतर्निहित समस्या का समाधान किया है। 2015 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में प्रदूषण से संबंधित मौतों में इनडोर वायु प्रदूषण का प्रमुख योगदान है, जिसमें 124,000 समय से पहले मौतें होती हैं। यह गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग करने वाले परिवारों के लिए एक कड़वा सच है।

पीएमयूवाई का उद्देश्य सोशियो–इकोनॉमिक एवं कास्ट सेंसस (एसईसीसी–2011) के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की उन महिलाओं को डिपॉजिट–फ्री एलपीजी कनेक्शन देना था, जिनके पास एलपीजी की सुविधा नहीं थी। पीएमयूवाई के तहत योग्य लाभार्थियों की पहचान के लिए मानदंड, जो शुरू में सामाजिक–आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 पर आधारित था, को अब विस्तारित कर दिया गया है जिसमें सभी एससी/एसटी परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी, जंगल में रहने वाले लोग, सबसे पिछड़े वर्गों के सदस्य, चाय बागान और पूर्व चाय बागान जनजातियाँ, द्वीपों और नदी के किनारे रहने वाले लोग शामिल हैं।

1.2. अध्ययन के उद्देश्यः यह अध्ययन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कार्यक्रम के उद्देश्यों के माध्यम से भारत में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के अध्ययन पर केंद्रित है। अध्ययन का उद्देश्य पीएमयूवाई कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाली महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन करना और कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। साथ ही महिला लाभार्थियों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का भी मूल्यांकन करता है। यह अध्ययन क्षेत्रवार महिला सशक्तिकरण पर पीएमयूवाई कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन पर विचार करता है। इस तरह, प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैंः

1. भारत में क्षेत्रवार पीएमयूवाई के प्रदर्शन का अध्ययन करना।
2. भारत में क्षेत्रवार एलपीजी और पीएमयूवाई के प्रदर्शन का अध्ययन करना।
3. भारत में क्षेत्रवार एलपीजी सीलिंडरों की प्रति व्यक्ति खपत को समझना।
4. भारत में क्षेत्रवार पीएमयूवाई तक महिलाओं की पहुंच का आकलन करना।

2. साहित्य की समीक्षाः पीएमयूवाई का भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम पुरुषों और महिलाओं दोनों को फायदा पहुँचाता है। एलपीजी गैस देकर, इस कार्यक्रम से गरीब महिलाओं के जीवन में सुधार होने की उम्मीद है जो अभी खाना पकाने के लिए लकड़ी और बायोमास पर निर्भर हैं, जिससे बहुत ज़्यादा धुआँ और स्वास्थ्य समस्याएँ होती हैं। (भारत के गरीबों के लिए जमीनी स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा और महिला सशक्तिकरणः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का मूल्यांकन)

जब महिलाएँ सशक्त होती हैं, तो वे ज़्यादा स्वस्थ होती हैं और स्वस्थ परिवार पाल सकती हैं। इससे बच्चों को शिक्षा मिलने की संभावना बढ़ जाती है और लंबे समय में परिवार में ज़्यादा आय आने की संभावना होती है। उज्ज्वला कार्यक्रम उस पितृसत्ता को तोड़ने में मदद करता है, जिससे उन्हें सम्मान और महत्व मिलता है। साहू एवं अन्य (2018), गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में प्रकाशित भारत के गरीबों के लिए जमीनी स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा और महिलाओं को सशक्त बनाने के साधन के रूप में पीएमयूवाई के अपने मूल्यांकन में इसकी चर्चा करते हैं। पिल्लई और अम्माल (2017) के एक अध्ययन में पीएमयूवाई के आर्थिक मूल्यांकन ने देश के समग्र आर्थिक विकास में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। अध्ययन में शिक्षा, आय, व्यवसाय और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक–आर्थिक कारकों को पीएमयूवाई के विकास के लिए प्रमुख संकेतक के रूप में पहचाना गया और भारत में ऊर्जा के आयात, खपत और माँग पर उनके सकारात्मक प्रभाव को नोट किया गया।

उज्ज्वला योजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि महिलाओं के नाम पर एलपीजी सिलेंडर जारी करना है, जो कई हिस्सों में मान्यता के लिए संघर्ष करने वाली महिलाओं को पहचान देते हैं। इसके अलावा, आसान केवाईसी दिशानिर्देशों और स्व–प्रमाणन ने महिलाओं की स्वतंत्रता को बढ़ाने में योगदान दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 9.5 मिलियन नए आवेदनों के लिए केवाईसी मंजूरी मिली है। पटनायक एवं अन्य द्वारा किए गए एक अध्ययन में इसकी प्रगति को रेखांकित किया गया है। एशियन जर्नल ऑफ पब्लिक अफेयर्स (2018) में प्रकाशित भारत में स्वच्छ रसोई ऊर्जा तक पहुंच के लिए एक रोडमैप को रेखांकित किया गया है।

शर्मा, पारिख और सिंह (2019) के अनुसार, भारत में घरेलू वायु प्रदूषण के कारण सालाना अनुमानित 5 लाख से 1 मिलियन मौतें होती हैं। इसके समाधान के लिए, एलपीजी जैसे स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ईंधनों तक अधिक पहुंच प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए नए

एलपीजी कनेक्शन की लागत पर सब्सिडी दी जा सकती है। एलपीजी को अपनाने और उपयोग करने से महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति बढ़ सकती है और घरेलू वायु प्रदूषण सहित ग्रामीण परिवारों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों को कम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने इस परिवर्तन को बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे 2016 में इसकी शुरुआत के बाद से एलपीजी कनेक्शन में काफी वृद्धि हुई है।

गोल्ड और उर्पेलेन (2018) के एक शोध अध्ययन में ग्रामीण भारत में स्वच्छ रसोई ईंधन के रूप में एलपीजी को अपनाने और उपयोग का आकलन किया गया। सीमित स्वच्छ ईंधन उपलब्धता वाले छह राज्यों के 8500 परिवारों का सर्वेक्षण करते हुए अध्ययन ने वर्णनात्मक सांख्यिकी और सहसंबंध का उपयोग करते हुए आंकड़ों का विश्लेषण किया। निष्कर्षो से पता चला है कि ईंधन और ईंधन स्टैकिंग की लागत ग्रामीण भारत में एलपीजी अपनाने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। हालांकि, उपयोगकर्ता और गैर–उपयोगकर्ता दोनों की रसोई ईंधन के रूप में एलपीजी के बारे में सकारात्मक धारणा है। कप्सालेमोवा एवं अन्य (2021) ने प्राकृतिक गैस तक पहुंच, मुफ्त ईंधन, सुविधा और ईंधन के बहु–उपयोग सहित रसोई ईंधन की पसंद पर विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कारकों के प्रभाव का पता लगाया। उन्होंने आर्थिक कारकों की पहचान महत्वपूर्ण निर्धारकों के रूप में की, जिसमें प्रति व्यक्ति अधिक खर्च और आय वाले परिवारों के ठोस ईंधन से एलपीजी में स्थानांतरित होने की अधिक संभावना है।

कर एवं अन्य (2021) ने बताया कि भारत में 70 मिलियन से अधिक वंचित महिलाओं ने सरकार के कार्यक्रम के 35 महीनों के भीतर एलपीजी सिलिंडर प्राप्त किए। हालांकि एलपीजी उपभोक्ताओं के नामांकन में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन एलपीजी की बिक्री में इसी तरह की वृद्धि नहीं हुई है। अध्ययन में पाया गया कि सामान्य ग्रामीण उपभोक्ताओं के बीच एलपीजी की खपत में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

गिल–विह्ल (2022) ने एलपीजी उपयोग पर भारत की गरीबी–रेखा नीतियों के प्रभाव का अध्ययन किया और घरेलू वितरण या रसोई ऊर्जा पहुंच स्तर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पाया। विश्लेषण खपत प्रोत्साहनों, रिफिल सब्सिडी के आकार और बीपीएल परिवारों को बेहतर ढंग से लक्षित करने की जांच की वकालत करता है।

3. एलपीजी के सक्रिय घरेलू ग्राहकों में निरपेक्ष प्रगतिः यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में एलपीजी कनेक्शन के सक्रिय घरेलू ग्राहकों की निरपेक्ष वृद्धि की स्थिति को देखे तो चित्र–1 से स्पष्ट है कि अप्रैल, 2015 में देश में एलपीजी कनेक्शन के सक्रिय घरेलू ग्राहक 14.86 करोड़ थे, जो बढ़कर अप्रैल, 2018 में 22.43 करोड़, अप्रैल, 2020 में 27.87 करोड़, अप्रैल, 2022 में 30.53 करोड़ और अक्टूबर, 2024 में 32.80 करोड़ एलपीजी के सक्रिय घरेलू ग्राहक हो गए। इस तरह पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में एलपीजी कनेक्शन के सक्रिय घरेलू ग्राहकों में 17.94 करोड़ की निरपेक्ष वृद्धि हुई है।

चित्र-1: अप्रैल में देश में सक्रिय घरेलू ग्राहकों की संख्या (करोड़ में)

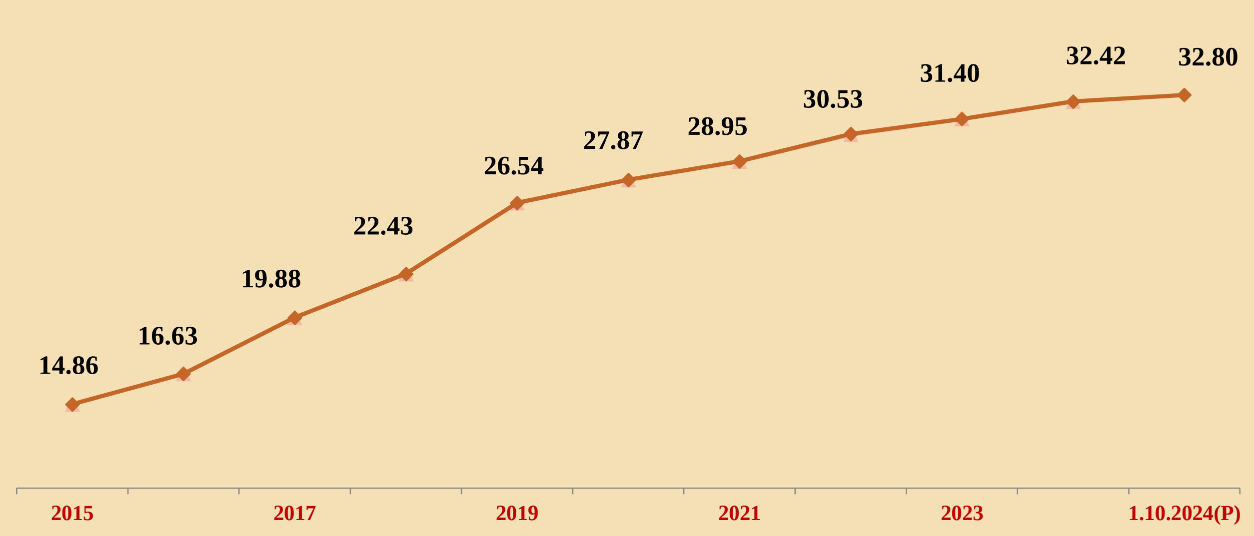

यदि पिछले 2 वर्षों के दौरान देश में एलपीजी कनेक्शन के सक्रिय घरेलू ग्राहकों की क्षेत्रवार स्थिति को देखे तो चित्र–2 से स्पष्ट है कि अक्टूबर, 2023 में उत्तरी क्षेत्र में 956.7 लाख एलपीजी के सक्रिय घरेलू ग्राहक थे, जो अक्टूबर, 2024 में बढ़कर 991.7 लाख ग्राहक हो गए। इस दौरान एलपीजी के सक्रिय घरेलू ग्राहक उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 114.5 लाख से बढ़कर 124.8 लाख ग्राहक, पूर्वी क्षेत्र में 644.7 लाख से बढ़कर 666.5 लाख ग्राहक, पश्चिमी क्षेत्र में 659.9 लाख से बढ़कर 688.2 लाख ग्राहक और दक्षिणी क्षेत्र में 778.8 लाख से बढ़कर 808.9 लाख ग्राहक हो गए। जबकि इस दौरान देश में कुल एलपीजी के सक्रिय घरेलू ग्राहक 3154.5 लाख से बढ़कर 3280.1 लाख ग्राहक हो गए।

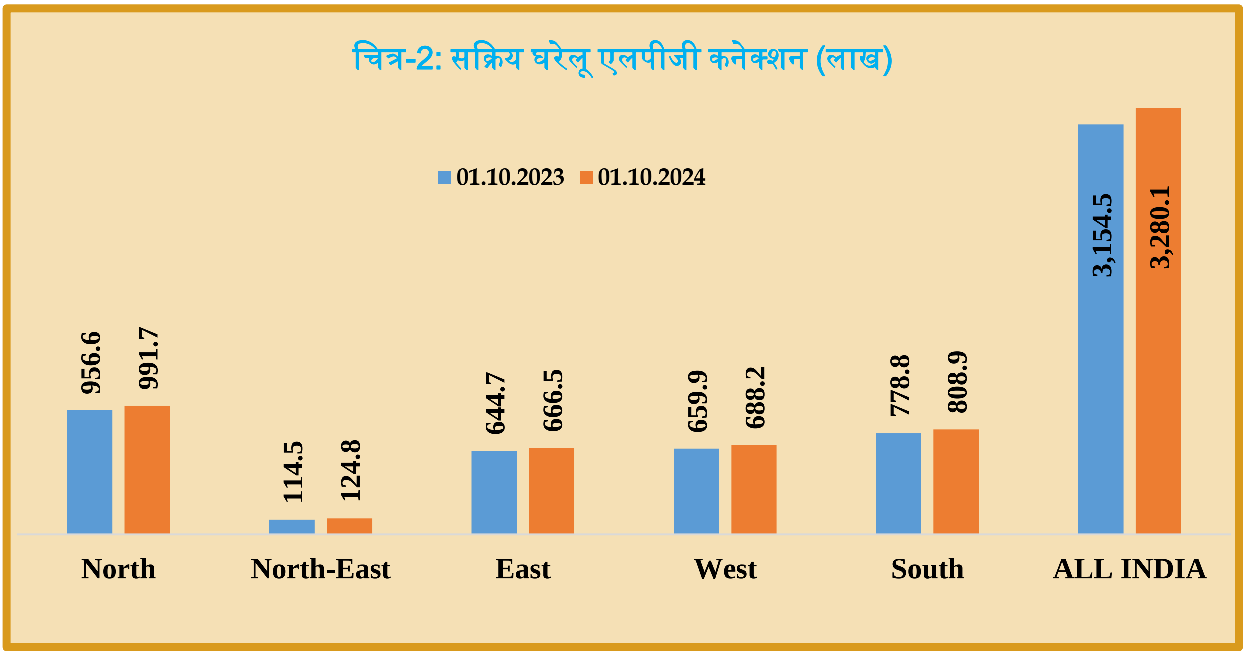

4. एलपीजी और पीएमयूवाई का राज्यवार और क्षेत्रवार प्रदर्शनः भारतीय परिवारों की वास्तविक और अनुमानित संख्या के एलपीजी और पीएमयूवाई कनेक्शन स्थिति को सारणी–1 में दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में परिवारों की कुल संख्या 24.67 करोड़ थी। हालांकि कुल भारतीय परिवारों में उत्तरी क्षेत्र के 10 राज्य एवं संघ क्षेत्रों में 6.47 करोड़, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 8 राज्यों में 92.66 लाख, पूर्वी क्षेत्र के 8 राज्य एवं संघ क्षेत्रों में 5.49 करोड़, पश्चिमी क्षेत्र के 6 राज्य एवं संघ क्षेत्रों में 5.71 करोड़ और दक्षिणी क्षेत्र के 7 राज्य एवं संघ क्षेत्रों में 6.07 करोड़ परिवार थे। इन परिवारों के सापेक्ष अप्रैल, 2025 में देश के उत्तरी क्षेत्र में 9.97 करोड़, उत्तर पूर्वी क्षेत्र 1.25 करोड़, पूर्वी क्षेत्र में 6.69 करोड़, पश्चिमी क्षेत्र में 6.91 करोड़ और दक्षिणी क्षेत्र में 8.15 करोड़ एलपीजी के सक्रिय ग्राहक थे।

सारणी–1 से स्पष्ट है कि अप्रैल, 2025 में देश में कुल 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन थे, जिनमें से उत्तरी क्षेत्र में 3.07 करोड़, उत्तर पूर्वी क्षेत्र 61.88 लाख, पूर्वी क्षेत्र में 3.35 करोड़, पश्चिमी क्षेत्र में 2.22 करोड़ और दक्षिणी क्षेत्र में 1.08 करोड़ पीएमयूवाई के कनेक्शन थे। यदि जनगणना, 2011 के कुल परिवारों के सापेक्ष पीएमयूवाई लाभार्थी परिवारों की क्षेत्रीय हिस्सेदारी देखें तो भारतीय परिवारों में उत्तरी क्षेत्र के कुल परिवारों के सापेक्ष अप्रैल, 2025 में 47.41 प्रतिशत परिवारों के पीएमयूवाई के कनेक्शन थे। इसी तरह, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुल परिवारों के सापेक्ष 66.78 प्रतिशत, पूर्वी क्षेत्र में 60.90 प्रतिशत, पश्चिमी क्षेत्र में 38.89 प्रतिशत और दक्षिणी क्षेत्र के 17.80 प्रतिशत परिवारों के पास पीएमयूवाई कनेक्शन थे। जबकि अखिल भारतीय स्तर पर 41.88 प्रतिशत परिवारों के पास पीएमयूवाई के कनेक्शन थे। इस तरह, पारिवारिक कवरेज और लाभांवित परिवारों की दृष्टि से उत्तर पूर्वी क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र का प्रदर्शन कमतर है।

सारणी-1: राज्यवार और क्षेत्रवार एलपीजी के सक्रिय ग्राहक और पीएमयूवाई कनेक्शन (संख्या लाख में)

तुलनात्मक विवरण	जनगणना में परिवारों की संख्या	जनगणना में परिवारों की संख्या	पीएमयूवाई कनेक्शन	एलपीजी के ग्राहक	वर्ष 2019 के भारतीय परिवारों के सापेक्ष एलपीजी ग्राहक	वर्ष 2011 के भारतीय परिवारों के सापेक्ष पीएमयूवाई कनेक्शन	एलपीजी ग्राहकों के सापेक्ष पीएमयूवाई कनेक्शन
राज्य एवं क्षेत्र	**31.3.2011**	**01.4.2019**	**01.4.2025**	**01.4.2025**	**(प्रतिशत)**	**(प्रतिशत)**	**(प्रतिशत)**
चंडीगढ़	2.35	2.68	0.02	3.1	**115.67**	0.85	0.65
दिल्ली	33.41	39.13	2.60	56.9	**145.41**	7.78	4.57
हरियाणा	47.18	54.77	11.15	82.6	**150.81**	23.63	13.50
हिमाचल प्रदेश	14.77	16.31	1.51	22.4	**137.34**	10.22	6.74
जम्मू एवं कश्मीर	20.15	23.99	12.70	35.4	**147.56**	63.03	35.88
लद्दाख	0.0	0.0	0.11	1.0	**0.00**	0.00	11.00
पंजाब	54.10	60.18	13.59	96.3	**160.02**	25.12	14.11
राजस्थान	125.81	147.47	73.81	183.8	**124.64**	58.67	40.16
उत्तर प्रदेश	329.24	383.00	185.94	483.4	**126.21**	56.48	38.47
उत्तराखंड	19.97	23.01	5.30	32.3	**140.37**	26.54	16.41
उत्तरी क्षेत्र का योग	**646.98**	**750.53**	**306.72**	**997.3**	**132.88**	**47.41**	**30.76**
अरुणाचल प्रदेश	2.62	3.17	0.54	3.3	**104.10**	20.61	16.36
असम	63.67	72.47	50.97	91.8	**126.67**	80.05	55.52
मणिपुर	5.07	5.83	2.25	7.1	**121.78**	44.38	31.69
मेघालय	5.38	6.60	3.17	5.2	**78.79**	58.92	60.96
मिजोरम	2.21	2.63	0.36	3.7	**140.68**	16.29	9.73
नागालैंड	4.00	3.98	1.22	3.9	**97.99**	30.50	31.28
सिक्किम	1.28	1.41	0.20	1.9	**134.75**	15.63	10.53
त्रिपुरा	8.43	9.44	3.16	8.5	**90.04**	37.49	37.18
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का योग	**92.66**	**105.53**	**61.88**	**125.3**	**118.73**	**66.78**	**49.39**
अंड एवं निको. द्वीप समूह	0.93	0.98	0.14	1.3	**132.65**	15.05	10.77
बिहार	189.41	228.29	116.29	229.4	**100.49**	61.40	50.69
झारखंड	61.82	73.01	38.94	66.2	**90.67**	62.99	58.82
ओडिशा	96.61	107.54	55.49	100.6	**93.55**	57.44	55.16
पश्चिम बंगाल	200.67	220.29	123.75	271.3	**123.16**	61.67	45.61
पूर्वी क्षेत्र का योग	**549.44**	**630.11**	**334.61**	**668.7**	**106.12**	**60.90**	**50.04**
छत्तीसगढ़	56.23	66.50	38.01	63.3	**95.19**	67.60	60.05
दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	1.33	1.93	0.18	1.7	**88.08**	13.53	10.59
गोवा	3.23	3.44	0.02	5.8	**168.60**	0.62	0.34
गुजरात	121.82	140.82	43.08	127.8	**90.75**	35.36	33.71
मध्य प्रदेश	149.68	174.24	88.47	175.0	**100.44**	59.11	50.55
महाराष्ट्र	238.31	269.13	52.17	317.1	**117.82**	21.89	16.45
पश्चिमी क्षेत्र का योग	**570.59**	**656.05**	**221.93**	**690.7**	**105.28**	**38.89**	**32.13**
आंध्र प्रदेश	126.04	137.25	9.73	159.5	**116.21**	7.72	6.10
कर्नाटक	131.80	148.82	41.47	188.5	**126.66**	31.46	22.00
केरल	77.16	80.22	3.88	98.1	**122.29**	5.03	3.96
लक्षद्वीप	0.11	0.11	0.00	0.1	**90.91**	0.00	0.00
पुडुचेरी	3.01	3.70	0.19	4.1	**110.81**	6.31	4.63
तमिलनाडु	184.93	208.25	41.00	237.6	**114.09**	22.17	17.26
तेलंगाना	84.21	91.69	11.84	126.9	**138.40**	14.06	9.33
दक्षिणी क्षेत्र का योग	**607.26**	**669.64**	**108.11**	**814.9**	**121.69**	**17.80**	**13.27**
अखिल भारत	**2466.9**	**2814.6**	**1033.25**	**3297.0**	**117.14**	**41.88**	**31.34**

स्रोत: ओएमसी (आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल), पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

यदि पिछले 2 वर्षों के दौरान देश में पीएमयूवाई कनेक्शन के ग्राहकों की क्षेत्रवार स्थिति को देखे तो चित्र–3 से स्पष्ट है कि देश के कुल पीएमयूवाई कनेक्शन में उत्तरी क्षेत्र का हिस्सा अक्टूबर, 2023 और अक्टूबर, 2024 में 29.7 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा है। इस दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मामूली वृद्धि देखी गई है और 5.5 से बढ़कर 6.0 प्रतिशत हो गया। पूर्वी क्षेत्र के हिस्से में मामूली कमी देखी गई है और यह 33.5 से घटकर 32.4 प्रतिशत रह गया। पश्चिमी क्षेत्र के हिस्से में मामूली वृद्धि देखी गई है और 21.4 से बढ़कर 21.5 प्रतिशत हो गया। इसी तरह दक्षिणी क्षेत्र के हिस्से में मामूली वृद्धि देखी गई है और 9.9 से बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो गया।

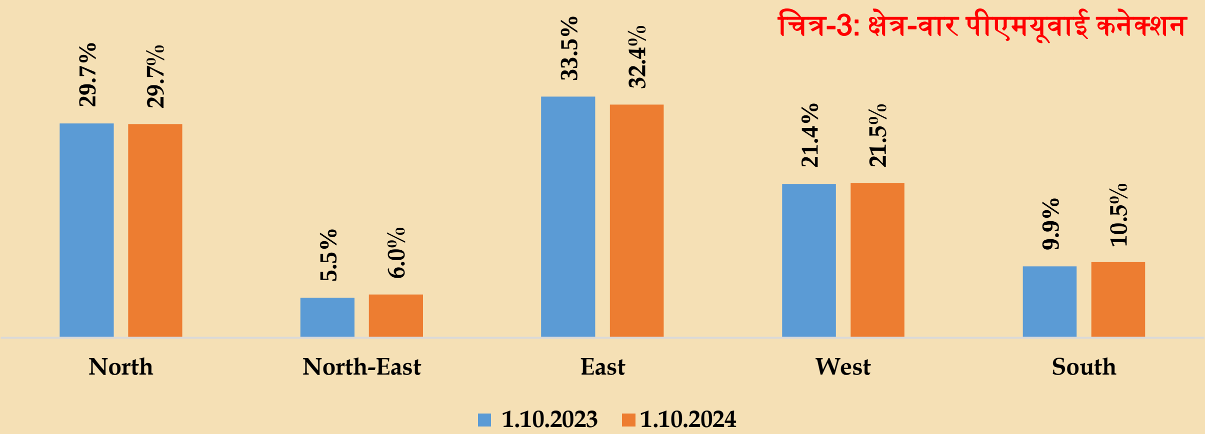

चित्र-3: क्षेत्र-वार पीएमयूवाई कनेक्शन

सारणी–1 के आंकड़ों को समग्रता से राज्यवार और क्षेत्रवार पीएमयूवाई कनेक्शन की तुलनात्मक स्थिति अवलोकित करने से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में, जहाँ ग्रामीण आबादी और गरीबी अधिक है, पीएमयूवाई कनेक्शन की संख्या अधिक है, क्योंकि योजना का मुख्य लक्ष्य बीपीएल परिवारों को कवर करना है। इसी तरह, उत्तरी, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में, ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बड़ी संख्या के कारण, कनेक्शन की निरपेक्ष वृद्धि अधिक हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों और कुछ पश्चिमी/दक्षिणी राज्यों के कवरेज में भिन्नता परिलक्षित हुई है। हालांकि, उज्ज्वला 2.0 में प्रवासी श्रमिकों और अन्य वंचित समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे कवरेज का विस्तार हुआ है।

5. एलपीजी की क्षेत्रवार प्रति कनेक्शन खपत (पीसीसी) का प्रदर्शनः एलपीजी की क्षेत्रवार और राज्यवार प्रति कनेक्शन खपत (पीसीसी) के प्रदर्शन को सारणी–2 में दर्शाया गया है। सारणी के आंकड़ों बताते हैं कि सरकार के प्रयासों से और उज्ज्वला लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप उज्ज्वला परिवारों में एलपीजी की खपत बढ़ी है। उज्ज्वला लाभार्थियों में 14.2 किग्रा के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की संख्या के हिसाब से प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2019–20 में 3.01 से बढ़कर 2023–24 में 3.95 और वर्ष 2024–25 में 4.47 तक पहुँच गई है। जबकि गैर–पीएमयूवाई ग्राहकों में 14.2 किग्रा के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की संख्या के हिसाब से प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2023–24 में 6.61 से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 6.64 हो गई है। यदि पीएमयूवाई और गैर–पीएमयूवाई दोनों के समग्र ग्राहकों की प्रति व्यक्ति खपत को देखें तो वर्ष 2023–24 में 5.78 से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 5.96 एलपीजी सिलेंडर प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत रही है।

सारणी–2 में पिछले 2 वर्षों के दौरान देश में पीएमयूवाई, गैर–पीएमयूवाई और दोनों के समग्र ग्राहकों द्वारा सिलिंडर की संख्यात्मक खपत को दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि पीएमयूवाई के लाभार्थियों में वर्ष 2023–24 में उत्तरी क्षेत्र में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की प्रति व्यक्ति खपत 4.59 सिलिंडर थी, जो बढ़कर 2024–25 में 5.11 सिलेंडर तक पहुँच गई। इस दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 2.99 सिलिंडर से बढ़कर 3.39 सिलिंडर, पूर्वी क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 3.67 सिलिंडर से बढ़कर 4.25 सिलिंडर, पश्चिमी क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 3.58 सिलिंडर से बढ़कर 4.06 सिलिंडर और दक्षिणी क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 4.37 सिलिंडर से बढ़कर 4.85 सिलिंडर तक पहुँच गई। इस तरह, पिछले 2 वर्षों के दौरान देश के प्रत्येक क्षेत्र में पीएमयूवाई लाभार्थियों में सिलेंडर की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ी है।

सारणी-2: एलपीजी की राज्य-वार प्रति कनेक्शन खपत (14.2 किग्रा सिलेंडरों की संख्या)

राज्य एवं क्षेत्र	वर्ष 2023-24			वर्ष 2024-25		
	पीएमयूवाई	गैर-पीएमयूवाई	समग्र	पीएमयूवाई	गैर-पीएमयूवाई	समग्र
चंडीगढ़	4.88	10.52	10.50	7.26	10.92	10.89
दिल्ली	6.61	9.64	9.53	7.57	9.38	9.30
हरियाणा	6.10	8.33	8.06	6.76	8.17	7.98
हिमाचल प्रदेश	4.08	5.49	5.39	4.47	5.50	5.43
जम्मू एवं कश्मीर	3.43	5.18	4.54	4.03	5.08	4.70
लद्दाख	2.97	6.76	6.32	4.54	6.64	6.40
पंजाब	5.52	7.38	7.12	5.63	7.29	7.05
राजस्थान	4.45	6.88	5.91	4.93	6.76	6.02
उत्तर प्रदेश	4.56	6.62	5.83	5.08	6.70	6.07
उत्तराखंड	4.88	7.41	6.99	5.04	7.42	7.02
कुल उत्तर क्षेत्र	**4.59**	**7.13**	**6.35**	**5.11**	**7.10**	**6.48**
अरुणाचल प्रदेश	3.77	6.60	6.13	4.14	6.60	6.19
असम	2.96	5.56	4.14	3.36	5.53	4.32
मणिपुर	4.24	6.22	5.59	4.40	5.25	4.98
मेघालय	2.40	7.53	4.48	2.60	7.52	4.43
मिजोरम	4.70	6.84	6.62	5.37	6.75	6.61
नागालैंड	3.23	6.93	5.80	3.97	6.61	5.75
सिक्किम	3.62	7.68	7.29	4.77	7.21	6.95
त्रिपुरा	2.67	6.74	5.23	3.20	6.96	5.54
कुल उत्तर-पूर्व क्षेत्र	**2.99**	**5.99**	**4.53**	**3.39**	**5.89**	**4.64**
अंडमान एवं निको. द्वीप समूह	5.60	7.42	7.22	6.06	7.43	7.28
बिहार	3.82	6.22	5.00	4.15	6.38	5.24
झारखंड	2.73	6.37	4.23	3.20	6.39	4.50
ओडिशा	3.46	5.69	4.46	4.03	5.86	4.84
पश्चिम बंगाल	3.90	6.02	5.04	4.78	6.09	5.49
कुल पूर्व क्षेत्र	**3.67**	**6.08**	**4.86**	**4.25**	**6.19**	**5.21**
छत्तीसगढ़	1.92	6.32	3.68	2.39	6.47	4.00
दादरा/नगर हवेली और दमन/ दीव	4.92	6.73	6.56	4.92	7.07	6.85
गोवा	3.93	6.77	6.76	4.27	6.90	6.90
गुजरात	4.76	7.26	6.43	5.31	7.23	6.58
मध्य प्रदेश	3.11	6.21	4.65	3.50	6.21	4.83
महाराष्ट्र	4.62	6.89	6.52	5.19	6.95	6.66
कुल पश्चिम क्षेत्र	**3.58**	**6.80**	**5.77**	**4.06**	**6.84**	**5.94**
आंध्र प्रदेश	3.73	5.71	5.61	4.42	5.74	5.66
कर्नाटक	4.76	6.91	6.44	5.35	6.93	6.58
केरल	3.99	6.65	6.55	4.40	6.79	6.69
लक्षद्वीप	3.82	5.31	5.27	3.60	4.81	4.78
पुडुचेरी	6.31	7.18	7.14	7.20	7.19	7.20
तमिलनाडु	4.38	6.40	6.06	4.81	6.41	6.13
तेलंगाना	3.47	5.73	5.51	3.67	5.86	5.65
कुल दक्षिण क्षेत्र	**4.37**	**6.29**	**6.04**	**4.85**	**6.34**	**6.14**
अखिल भारतीय	**3.95**	**6.61**	**5.78**	**4.47**	**6.64**	**5.96**

स्रोत: पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

पिछले 2 वर्षों के दौरान देश में गैर–पीएमयूवाई ग्राहकों में वर्ष 2023–24 में उत्तरी क्षेत्र में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की प्रति व्यक्ति खपत 7.13 सिलिंडर थी, जो कमोबेश 2024–25 में स्थिर अर्थात 7.10 सिलेंडर रही है। इस दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 5.99 सिलिंडर से मामूली घटकर 5.89 सिलिंडर, पूर्वी

क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 6.08 सिलिंडर से मामूली बढ़कर 6.19 सिलिंडर, पश्चिमी क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 6.80 सिलिंडर से बढ़कर 6.84 सिलिंडर और दक्षिणी क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 6.29 सिलिंडर से बढ़कर 6.34 सिलिंडर तक पहुँच गई। इस तरह, पिछले 2 वर्षों के दौरान देश के उत्तरी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मामूली कमी जबकि अन्य क्षेत्रों में गैर–पीएमयूवाई ग्राहकों में सिलेंडर की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ी है।

यदि पिछले 2 वर्षों के दौरान देश में पीएमयूवाई और गैर–पीएमयूवाई दोनों ग्राहकों की समग्र खपत को देखें तो वर्ष 2023–24 में उत्तरी क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडर की प्रति व्यक्ति खपत 6.35 सिलेंडर थी, जो बढ़कर 2024–25 में 6.48 सिलेंडर रही है। इस दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 4.35 सिलिंडर से बढ़कर 4.64 सिलिंडर, पूर्वी क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 4.86 सिलिंडर से बढ़कर 5.21 सिलिंडर, पश्चिमी क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 5.77 सिलिंडर से बढ़कर 5.94 सिलिंडर और दक्षिणी क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की प्रति व्यक्ति खपत 6.04 सिलिंडर से बढ़कर 6.14 सिलिंडर तक पहुँच गई। इस तरह, पिछले 2 वर्षों के दौरान देश के प्रत्येक क्षेत्र में एलपीजी ग्राहकों में सिलेंडर की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ी है।

उपर्युक्त क्षेत्रीय प्रदर्शन से स्पष्ट है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में पीएमयूवाई लाभार्थियों के बीच सापेक्षिक और वितारानात्मक विषमता कायम है। इसके बावजूद, पीएमयूवाई महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह महिलाओं को धुएं और लकड़ी से खाना पकाने की परेशानी से मुक्त कर, उनके स्वास्थ्य, समय और आर्थिक स्थिति में सुधार करती है, जिससे वे शिक्षा, उद्यमिता और अन्य सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों में जुड़ पाती हैं, और उन्हें स्वास्थ्य जोखिमों से बचाती है। योजना के कारण बच्चों और महिलाओं में धुएं से होने वाली सांस की बीमारियों और मृत्यु दर में कमी आ रही है। स्वच्छ ईंधन के उपयोग से महिलाओं का समग्र स्वास्थ्य सुधर रहा है। ईंधन (लकड़ी, गोबर) इकट्ठा करने में लगने वाला समय बचता है, जिसे महिलाएं अब शिक्षा, व्यवसाय या परिवार के साथ बिता सकती हैं। बचे हुए समय का उपयोग महिलाएं स्वयं सहायता समूहों में जुड़ने, छोटे व्यवसाय शुरू करने या आय–सृजन गतिविधियों में करने में कर सकती हैं। यह योजना सामाजिक सशक्तिकरण में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, जिससे ग्रामीण और वंचित समुदायों की महिलाओं का जीवन मजबूत होता है। 'उज्ज्वला दीदी' जैसी पहल के माध्यम से 10,000 महिलाओं को लोगों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे नेतृत्व के अवसर मिलते हैं। योजना से जंगलों की कटाई कम होती है और पर्यावरण प्रदूषण घटता है। इससे महिलाओं और पूरे परिवार के जीवन स्तर में सुधार आया है। इसलिए उज्ज्वला योजना सिर्फ रसोई गैस सिलेंडर देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को स्वास्थ्य, समय और अवसरों के रूप में सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का एक माध्यम है, जो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है।

देश में पितृसत्तात्मक समाज वाली व्यवस्था है जहां महिलाएं अक्सर आर्थिक और सामाजिक बाधाओं का सामना करती हैं और उनके पास निर्णय लेने की शक्ति बहुत कम है। ऐसे में पीएमयूवाई महिलाओं के लाभार्थियों को खाना पकाने, उनकी सुरक्षा बढ़ाने और उन्हें अध्ययन और कौशल विकास या आय सृजन जैसी अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए समय देने के द्वारा लक्षित और सशक्त बनाता है। पीएमयूवाई रसोई ईंधन खरीदने के वित्तीय बोझ को कम करके घरेलू खर्चों को कम करने में मदद करती है और परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, या बचत जैसी अन्य जरूरतों के लिए संसाधनों को निर्देशित करने की अनुमति देती है। कई परिवार अभी भी लकड़ी, गाय के गोबर या फसल अवशेष जैसे पारंपरिक कुकिंग तरीकों पर निर्भर हैं, जिससे इनडोर वायु प्रदूषण होता है। पीएमयूवाई तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच प्रदान करता है, जो आंतरिक वायु प्रदूषण को काफी कम करेगा, जिससे श्वसन स्वास्थ्य में सुधार होगा और महिलाओं और बच्चों के बीच अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारियों की घटनाओं को कम करेगा। देश में जहां स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित हो सकती है, वहां स्वच्छ कुकिंग ईंधन के माध्यम से ऐसी बीमारियों को रोका जा सकता है, वहां स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना पर बोझ कम हो सकता है और परिवारों के लिए आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य व्यय में कमी आ सकती है। पीएमयूवाई स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देता है, जो वनों की कटाई और पर्यावरण क्षरण को कम करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ ईंधन के संक्रमण से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी और इससे पर्यावरण स्थिरता प्रयासों में मदद मिलेगी। पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शनों तक पहुंच प्रदान करके ग्रामीण विकास की सुविधा प्रदान करता है, जो न केवल खाना पकाने के तरीकों में सुधार करता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए अवसरों का सृजन करके स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का भी समर्थन करता है।

कुल मिलाकर, भारतीय घरों में खाना बनाना महिलाओं के लिए समय खपाऊ वाली दैनिक गतिविधि है। स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10.33 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिससे उन्हें रसोई के धुएं

से मुक्ति और गरिमा से भरा जीवन मिला है। जनगणना 2011 के आंकड़ें बताते हैं कि बहुसंख्यक भारतीय परिवार पारंपरिक ईंधन पर निर्भर रहे हैं और करीब 40 प्रतिशत भारतीय घरों में खाना पकाने की स्वच्छ ऊर्जा नहीं है। जबकि पीएमयूवाई अब तक 24.67 करोड़ परिवारों में से 41.88 प्रतिशत परिवारों को पीएमयूवाई के तहत एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध करा चुकी है। उदाहरण के लिए मई 2016 में शुरू होने के बाद से जुलाई, 2025 तक पीएमयूवाई (उज्ज्वला 1.0, 2.0 और विस्तारित उज्ज्वला) ने लगभग 10.33 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया है। सापेक्षिक रूप से योजना शुरू होने के बाद से पीएमयूवाई कनेक्शन सबसे ज़्यादा (32.4 प्रतिशत) पूर्वी क्षेत्र में जारी किए गए हैं, इसके बाद उत्तरी क्षेत्र (29.7 प्रतिशत), पश्चिमी क्षेत्र (21.5 प्रतिशत), दक्षिणी क्षेत्र (10.5 प्रतिशत) और उत्तर–पूर्वी क्षेत्र (6.0 प्रतिशत) में जारी किए गए हैं। जुलाई, 2025 तक पीएमयूवाई–II विस्तारित उज्ज्वला के तहत कुल 75.10 लाख कनेक्शन जारी किए गए हैं।

6. निष्कर्ष एवं सुझावः उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने देश में एक बड़ा प्रभाव डाला है, जो लाखों घरों में सुरक्षित खाना पकाने के तेल तक पहुंच प्रदान करता है। हालांकि, देश के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पीएमयूवाई का विस्तार करने के प्रयासों को जारी रख कर यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी योग्य परिवारों को कार्यक्रम में शामिल किया जाए। यह स्वास्थ्य परिणामों पर सकारात्मक प्रभावों को उजागर करता है और घर के अंदर वायु प्रदूषण को कम कर महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक खाना पकाने के विकल्प प्रदान करने के लिए सशक्त बनाता है। इसलिए, लाभार्थियों के लिए एलपीजी सिलेंडर को किफायती बनाने के साथ–साथ सरकार पर बोझ कम करने के लिए प्रभावी सब्सिडी प्रबंधन कायम रखना आवश्यक है। लाभार्थियों को एलपीजी के सही उपयोग, रखरखाव और स्वच्छ ईंधन जलाने के फायदों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक अभियान की भी आवश्यकता है। देश में पीएमयूवाई की प्रगति की निगरानी करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली लागू करना आवश्यक है।

देश में पीएमयूवाई ने ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ईंधन देकर स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तिकरण में सुधार किया है, लेकिन गैस सिलिंडरों (रिफिल) की निरंतरता और लागत एक चुनौती है। हालांकि, लाभार्थियों को गैस का पूरा उपयोग करने के लिए निरंतर सहायता और जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि कई लाभार्थी अभी भी पारंपरिक ईंधन का उपयोग जारी रखते हैं, हालांकि रिफिल दरें बेहतर हुई हैं और खपत बढ़ी है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि कई लाभार्थी पहले सिलेंडर के बाद रिफिल नहीं कराते, क्योंकि एलपीजी को 'विलासिता' माना जाता है या वे अभी भी लकड़ी/गोबर का उपयोग करते हैं। पारंपरिक ईंधन (लकड़ी, उपले) की उपलब्धता और कम लागत के कारण, एलपीजी का पूर्ण प्रतिस्थापन एक चुनौती बनी हुई है; नीति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ना आवश्यक है। स्वच्छ ईंधन के लाभों के बारे में निरंतर जागरूकता और जमीनी स्तर पर समर्थन की आवश्यकता है ताकि योजना अपने पूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।

अध्ययन में पाया गया कि पीएमयूवाई से महिलायें सुरक्षित हुई है और उनका जो समय अब भोजन पकाने से बचता है, उसे वे अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण कार्य में लगा पा रही है। पीएमयूवाई महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करके, उनके स्वास्थ्य को सुधारने में कारगर सिद्ध हुई है। हालांकि, खाना पकाने के स्वच्छ तरीकों को बढ़ावा देना और स्वच्छ ऊर्जा समाधान जैसे स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, साथ ही बायोगैस और सौर खाना पकाने को अपनाना, ताकि पर्यावरणीय प्रभाव और लकड़ी और कोयले जैसे पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम हो सके। कुल मिलाकर, पीएमयूवाई की पहुंच, जागरूकता और स्थिरता में सुधार के निरंतर प्रयास देश में लाखों परिवारों की आजीविका और जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं। हालांकि, सरकार को महिलाओं की भागीदारी के संबंध में पीएमयूवाई से संबंधित नुकसान को समाप्त करने या कम करने के लिए रचनात्मक कदम उठाने चाहिए।

स्रोत एवं संदर्भः

1. भारत सरकार (2016)। योजना दस्तावेजः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय http://petroleum.nic.in
2. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (2018)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में प्रगति। भारत सरकार http://petroleum.nic.in
3. साहू एमके, पटेल पी, पटेल आर (2018)। भारत के गरीबों के लिए जमीनी स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा और महिला सशक्तिकरणः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का एक मूल्यांकन। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, 2018;8(2):18–27।
4. जोशी, आर, एवं सिंह, ए. (2019)। ऊर्जा असमानता और महिला सशक्तिकरण उज्ज्वला योजना का प्रभाव। ग्रामीण विकास जर्नल, 35(2), 89–102।

5. सिंह, आर. (2019)। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उपयोग और स्वास्थ्यः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रभाव। भारतीय जनसंख्या और विकास पत्रिका, 44(1), 89–102 ।
6. शर्मा, डी. (2019)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सामाजिक प्रभावः ग्रामीण दृष्टिकोण। भारतीय समाजशास्त्र जर्नल, 45(2), 210–224
7. कुमार, आर. (2019)। पर्यावरणीय सुधार और स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम उज्ज्वला योजना का विश्लेषण। इंडियन जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट, 14(3), 125–133।
8. सिंह, आर, सिंह, डी. (2019)। स्वच्छ ऊर्जा का जलवायु परिवर्तन पर प्रभावः उज्ज्वला योजना के संदर्भ में अध्ययन। जलवायु और सतत विकास जर्नल, 7 (1), 45–59।
9. पटेल, एस (2019)। ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रभाव। सामाजिक अनुसंधान जर्नल, 17(2), 145–156।
10. दास, एम. (2019)। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर उज्ज्वला योजना का प्रभाव। स्वास्थ्य नीति और प्रबंधन पत्रिका, 11(1), 33–45।
11. दुबे, पी. (2020)। स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम और महिला सशक्तिकरण उज्ज्वला योजना का मूल्यांकन। ग्रामीण विकास जर्नल, 36(4), 377–389।
12. सिंह, एस., एवं के. एस. (2020) । प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ग्रामीण परिवारों पर आर्थिक प्रभाव। सामाजिक और आर्थिक विकास जर्नल, 22(3), 453–470.
13. गुप्ता, ए. एवं कुमार, पी. (2020) । ऊर्जा पहुंच और महिला सशक्तिकरणः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का अध्ययन। भारत विकास समीक्षा, 12(1), 67–81।
14. साहू, ए. एवं कर पी (2020)। स्वच्छ ऊर्जा और वनों का सरक्षण उज्ज्वला योजना का विश्लेषण। पर्यावरण अध्ययन पत्रिका, 18(2), 101–115।
15. सिंह, एस. (2020)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ग्रामीण स्वास्थ्य पर प्रभाव। सामाजिक और आर्थिक विकास पत्रिका, 22(3), 453–470।
16. मिश्रा, ए. (2020)। ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हेतु स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम। स्वास्थ्य और समाज पत्रिका, 19(4), 301–315।
17. गुप्ता, ए. (2020)। ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी उपयोग और स्वास्थ्य सुधारः उज्ज्वला योजना का अध्ययन। स्वास्थ्य और समाज पत्रिका, 18(2), 112–125।
18. सह. आर (2021)। उज्ज्वला योजना और ग्रामीण महिलाओं का स्वास्थ्यः अनुभवजन्य विश्लेपण। सामाजिक परिवर्तन, 50(2), 233–248।
19. गुप्ता, ए. (2021)। उज्ज्वला योजना और महिला सशक्तिकरणः एक अध्ययन। विकास नीति समीक्षा, 13 (1) 77–89।
20. कप्साल्यामोवा, आर. एम., केरीमरे, ए. एवं कमालबेक, के. डी. ए. (2021)। स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन चुनने के लिए ऊर्जा तक पहुंच क्यों पर्याप्त नहीं है? जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट।
21. शर्मा, डी. एव वर्मा, एम. (2021)। स्वच्छ ईंधन अपनानाः स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। ऊर्जा नीति, 151, 112–150।
22. त्रिपाठी, वी. (2021)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन। भारतीय आर्थिक विकास समीक्षा, 29(2), 142–156।
23. मिश्रा, पी. शर्मा, एल. (2021)। ग्रामीण भारत में पर्यावरणीय सुधार हेतु उज्ज्वला योजाना की भूमिका। इंडियन जर्नल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 15(4), 233–247।
24. चौधरी, पी. (2022)। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा की पहुंचः उज्ज्वला योजना का मूल्यांकन। ऊर्जा और पर्यावरण जर्नल, 16(3), 145–160।
25. ढाकावाणी, नरूला राधिका, साहू जितेंद्र, बिष्ट अभय एवं साहू हर्ष (2022)। उज्ज्वला योजनाः महिलाओं की भलाई : सिद्धांत और व्यवहार का वर्गीकरण। 2022; 4(1): 208–220।
26. यादव, ऋचा एवं आयशा जहीर (2024)। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तक महिलाओं की पहुंच पर एक अध्ययन, प्रशासनिक विकास जर्नल, वॉल्यूम 2(1), 2024।
27. गंगवार, पूनम एवं सिंह, डॉ. कनक लता (2025)। भारत के ग्रामीण समाज पर प्रधानमंत्री उजाला योजना का प्रभाव समाजशास्त्रीय अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस रिसर्च (एलजेएसएसएसआर), खंड–3, अंक–2, जुलाई–सितंबर 2025, पृष्ठ191–199 आईएसएसएनः 2583–7877

आलेख उद्धरित करें :	देवी, चंदा एवं सिंह, डॉ. निर्मला (2026)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के क्षेत्रीय प्रदर्शन का तुलनात्मक अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–1, जनवरी–मार्च, 2026, पृष्ठ 01–10। https://doi.org/10.5281/zenodo.21623812